

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-27/ग्यारह-2-26-9(47)/17-टी.सी. - 301-3000 अधि0-1-2017-आदेश(370)-2026

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा(1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या-1699/ग्यारह-9(47)/17-टी.सी.-284-3000 अधि0-1-2017-आदेश-(362)-2025 दिनांक 20 सितम्बर, 2025 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 9% में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् -

"4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीडियां;";
------	------------------------	------------

(ख) अनुसूची III - 20 % में, क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् -

"14.	2106 90 20	पान मसाला;
15.	2401	अविनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों से भिन्न];
16.	2402	तंबाकू या तंबाकू के अनुकल्प से बनी सिगार, चेरुट, सिगारिलो और सिगरेट ;
17.	2403 (2403 19 21, 2403 19 29 से भिन्न)	अन्य विनिर्मित तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प; "समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्त (बीडी से भिन्न);
18.	2404 11 00	तंबाकू या पुनर्रचित तंबाकू युक्त और दहन के बिना श्वसन के लिए आशयित उत्पाद;
19.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन अनुकल्प युक्त और दहन के बिना श्वसन के लिए आशयित उत्पाद";

(ग) अनुसूची VII - 14% और उससे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
Digitally signed by
KAMINI CHAUHAN RATAN
(कांति चोपड़ा)
सूचना सचिव।